

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 173/2023

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. महावीर प्रसाद पुत्र चन्दनमल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. राजवीर पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. विनोद कुमार नेहरा पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कलावती देवी पत्नी हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. गोतम पुत्र हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. प्रेम पुत्र हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मंजु पुत्री हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. संजीव पुत्र हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 21/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 294/291 की कुल 9.2320 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में से 9.2320 हैक्ट भूमि वादीगण की खरीदशुदा भूमि है तथा वादीगण खरीद के समय से ही अपने हक हिस्सा पर काबिज है वादी स0 2 कालुराम रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख0न0 374/3 की दक्षिण पूर्वी दिशा में 5 बीघा चिपती हुई एवं वादी संख्या 1 व वादी स0 6 अशोक व राजवीर आगे की तरफ पूर्व व उत्तर दिशा की तरफ 5 बीघा भूमि कास्त करते हैं एवं ख0न0 375/2 व ख0न0 303/2 ख0न0 215/1 ख0न0 302 के चिपती हुई पूर्वी व दक्षिणी साईड में 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 3-4-5-7 कास्त करते आ रहे हैं। इसी अनुसार वादीगण अपना खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।



उपखण्ड अधिकारी

नोहर

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 294/291 की कुल 9.2320 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया व साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 294/291 की कुल 9.2320 हैक्ट भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल हि. 284/1043 जाति जाट सा. देह खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र चन्दनमल हि. 253/1043 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार महेन्द्र पुत्र सुलतान हि. 253/1043 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार विनोद कुमार नेहरा पुत्र सुलतान हि. 253/1043 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार – ख.न. 376/1 की कुल 1.043 हैक्ट
2. कालुराम पुत्र भादरराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार – ख.न. 376/2 की 1.265 हैक्ट
3. अशोक कुमार पुत्र शिशपाल हि. 1265/4616 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार रहन—हि. 1265/4616 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, राजवीर पुत्र शिशपाल हि. 1265/4616 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार रहन हि. 1265/4616 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, लेखराम पुत्र इन्द्राज हि. 1043/2308 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार ख. न. 376/3 की कुल – 2.308 है.
4. कलावती देवी पत्नी हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार, गोतम पुत्र हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार, प्रेम पुत्र हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार, मंजु पुत्री हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार, संजीव पुत्र हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर, सुभाष पुत्र जेसाराम हि. 1/2 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार रहन हि. 1/2 (पूर्ण) पंजाब


उपस्थित अधिकारी

नेशनल बैंक शाखा नोहर – ख0न0 376/4 की 3.805 हैक्ट, 376/5 की 0.811 हैक्ट
कुल रकबा 4.616 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या – 173/2023

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. महावीर प्रसाद पुत्र चन्दनमल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. राजवीर पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. विनोद कुमार नेहरा पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कलावती देवी पत्नी हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. गोतम पुत्र हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. प्रेम पुत्र हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मंजु पुत्री हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. संजीव पुत्र हंसराज जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 173 सन 2023 निर्णय दिनांक 21/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स० 294/291 की कुल 9.2320 हैक्ट भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल हि. 284/1043 जाति जाट सा. देह खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र चन्दनमल हि. 253/1043 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार महेन्द्र पुत्र सुलतान हि. 253/1043 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार विनोद कुमार नेहरा पुत्र सुलतान हि. 253/1043 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार – ख.न. 376/1 की कुल 1.043 हैक्ट
2. कालुराम पुत्र भादरराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार – ख.न. 376/2 की 1.265 हैक्ट
3. अशोक कुमार पुत्र शिशपाल हि. 1265/4616 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार रहन—हि. 1265/4616 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, राजवीर पुत्र शिशपाल हि. 1265/4616 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार रहन हि. 1265/4616 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, लेखराम पुत्र इन्द्राज हि. 1043/2308 जाति जाट सा. गोरखाना खातेदार ख. न. 376/3 की कुल – 2.308 है.
4. कलावती देवी पत्नी हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार, गोतम पुत्र हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार, प्रेम पुत्र हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार, मंजु पुत्री हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार, संजीव पुत्र हंसराज हि. 1/10 जाति कुम्हार सा. नोहर, सुभाष पुत्र जैसाराम हि. 1/2 जाति कुम्हार सा. नोहर खातेदार रहन हि. 1/2 (पूर्ण) पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर – ख०न० 376/4 की 3.805 हैक्ट, 376/5 की 0.811 हैक्ट कुल रकबा 4.616 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 21/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर